FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (प्रथम) मुकाम बायतु

जोगाराम वगैरा बनाम रूपाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा. वाद 88,53,188 रा. भू. अ. नं. 183/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/10/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कैलाशदान चारण ने यह प्रार्थना पत्र/बाद/अपील धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 8/10/21 को पेश हो। [initials]	जोगाराम पहलादराम [illegible] पदुराम [illegible] Chaudhary
08/10/2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प ग्राम पंचायत बायतु भीमजी में रखी गई, वादीगण स्वयं व उनके अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या-1 स्वयं उपस्थित/ प्रतिवादी संख्या-2 व 3 के सम्मन तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-2 बावजूद सूचना अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री गणेश कुमार द्वारा वकालतनामा मय इकबाली जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया	प्रतिवादी सं. 1 (रूपाराम) [illegible] Adv. प्रतिवादी वकील

[initials]

कलक्टर

गया। वादीगण साक्ष्य के रूप में वादी संख्या-1 स्वयं PW-1- जोगाराम पुत्र रूपाराम जाति-जाट निवासी- गेहूंवाला, बायतु भीमजी का शपथ-पत्र पेश किया गया तथा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या-1 स्वयं DW-1-रूपाराम पुत्र श्री चुतराराम जाति-जाट निवासी-गेहूंवाला, बायतु भीमजी तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर का शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक-16/12/21 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

16/12/2021

वकीलान फरीकैन उपस्थित। वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से शपथ-पत्र पेश कर बताया गया की हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है तथा वादीगणों के कोई बहन नहीं है उक्त पैतृक जमीन में वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा खातेदारी अधिकारी का है जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः बहस हेतु पत्रावली दिनांक-13/01/2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

13/01/2022

वकीलान फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक-21/02/2022 को पेश हो।

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/07/2022	पक्षकारान तलबीदा उपस्थित/प्रतिवादी संख्या-1 पूर्व में इकतरफा हो वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकार्ड तथा प्रतिवादी संख्या-1 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाबदावा व वादी तथा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य शपथ-पत्रों का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया, पत्रावली में डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली मुकम्मल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

सवर अहलकार हुक्म की सं. में जारी हुए

...ालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 183/2021

वादीगण

1. जोगाराम पुत्र रूपाराम
2. प्रहलादराम पुत्र रूपाराम
3. पप्पूराम पुत्र रूपाराम
   जाति जाट निवासी गेहूंवाला पटवार हल्का बायतु भीमजी तहसील बायतु, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रूपाराम पुत्र चुतराराम जाति जाट निवासी गेहूंवाला पटवार हल्का बायतु भीमजी तहसील बायतु, जिला बाड़मेर।
2. प्रबंधक, एसबीआई शाखा बायतु जिला बाड़मेर
3. तहसीलदार, बायतु जिला बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :–

1. वादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 1

–: निर्णय :– दिनांक : 21/02/2022

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक व संयुक्त कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा गेहूंवाला पटवार मण्डल बायतु भीमजी तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 192, 441/268 रकबा क्रमशः 4.4900, 1.0436 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही पूर्वज के वंशज है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता तथा बाद में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त रहा है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं जोगाराम पुत्र रूपाराम का शपथ पत्र

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

श किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं रूपाराम पुत्र चुतराराम का पत्र DW 1 पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ सहखातेदार घोषित करवाने इकबाली जवाबदावा पेश किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 चुतराराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ वादीगणे सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा गेहूंवाला पटवार मण्डल बायतु भीमजी तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 192, 441/268 रकबा क्रमशः 4.4900, 1.0436 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि यदि बैंक में रहन है तो पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बायतु

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

निर्णय आज दिनांक 21/02/2022 को न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बायतु

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जोगाराम पुत्र रूपाराम 2. प्रहलादराम पुत्र रूपाराम 3. पप्पूराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी गेहूंवाला पटवार हल्का बायतु भीमजी तहसील बायतु, जिला बाड़मेर।		1. रूपाराम पुत्र चुतराराम जाति जाट निवासी गेहूंवाला पटवार हल्का बायतु भीमजी तहसील बायतु, जिला बाड़मेर। 2. प्रबधक, एसबीआई शाखा बायतु जिला बाड़मेर 3. तहसीलदार, बायतु जिला बाड़मेर।

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय दिनांक :- 21/02/2022

राजस्व वाद संख्या– 183/2021.

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21/02/2022 को (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा गेहूंवाला पटवार मण्डल बायतु भीमजी तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 192, 441/268 रकबा क्रमशः 4.4900, 1.0436 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि यदि बैंक में रहन है तो पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 21/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	शून्य	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस।	शून्य
जोड	शून्य	जोड	शून्य